संयुक्त राष्ट्र
का
खाद्य एवं
कृषि
संगठन

उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता क्या है ?

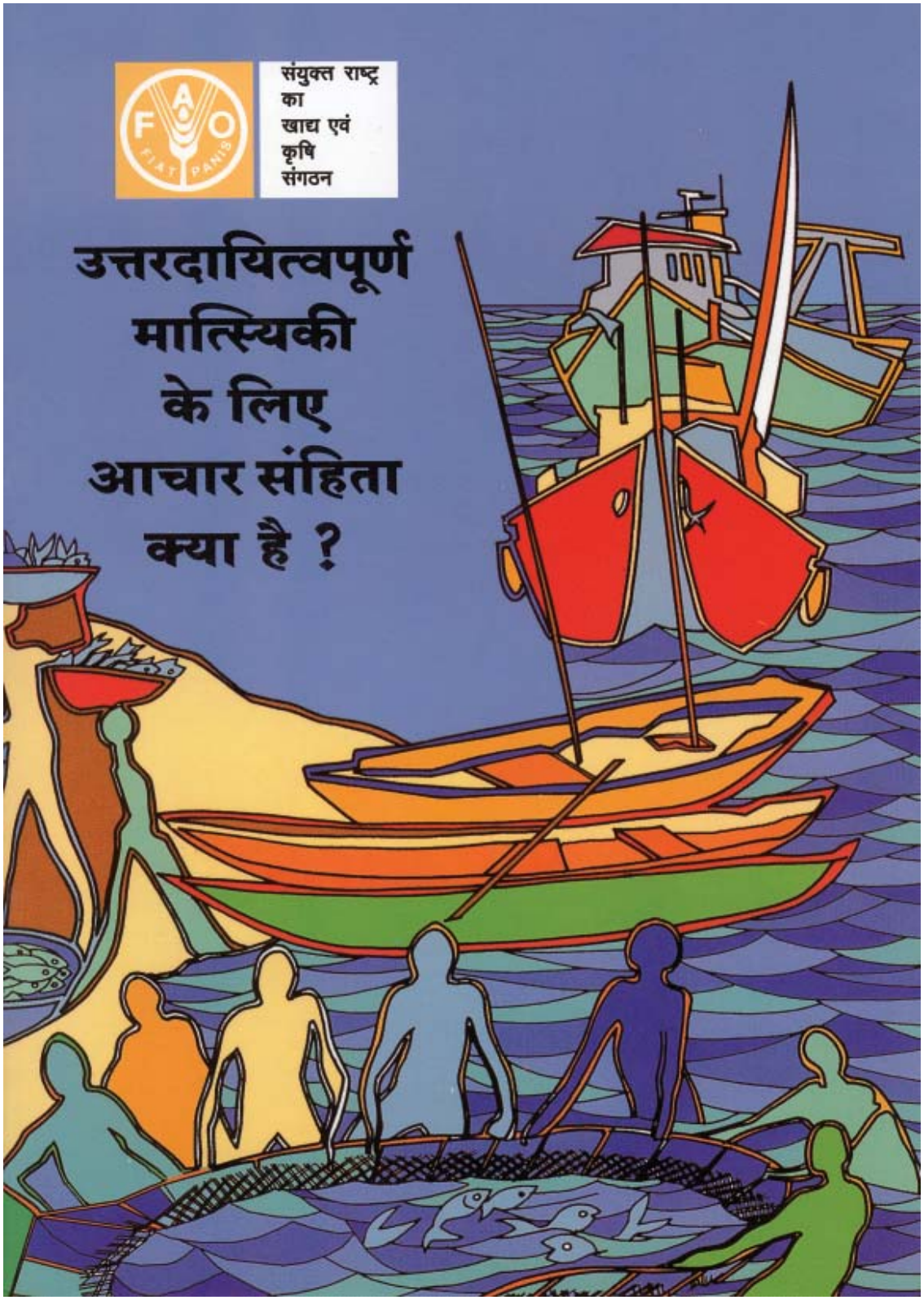

उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता क्या है ?

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन
रोम – २००१

इस सूचना में उपलब्ध सामग्री के प्रस्तुतिकरण में पदधारी नियोक्ता के किसी भी प्रकार के विचार को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का भाग है जो किसी भी राष्ट्र, परिक्षेय, नगर या इसके प्राधिकृत या इसके सीमाक्षेत्र या सीमांत अथवा परिसीमा से संबंधित है।

ISBN 92-5-104541-0

सर्वाधिकार सुरक्षित, शैक्षिक एवं गैर व्यवसायिक उद्देश्य हेतु इस सूचना में प्रस्तुत सामग्री का पुनरुत्पादन एवं प्रसार कापीराइट अधिकारी के बिना किसी पूर्व लिखित अनुमति के किया जा सकता है, परन्तु उसमें इस श्रोत का उल्लेख करना आवश्यक है। इस सूचना का व्यवसायिक उद्देश्य हेतु उपयोग कापीराइट अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना करना मना है। अनुमति हेतु आवेदन - चीफ़, पब्लिशिंग एंड मल्टिमीडिया सर्विस, इन्फार्मेशन डिविज़न, एफ ए ओ, वियाले डेले टर्मि डी कारकल्ला, ००१०० रोम, इटली या ई-मेल: copyright@fao.org को करें।

© FAO 2001

उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता क्या है ?

विश्व में मात्स्यिकी (जिसमें प्रबंध, मछली पकड़ना, परिसंस्करण, मत्स्य भंडारण का विपणन) तथा जलीय संवर्धन (जलकृषि) खाद्य, रोज़गार, आय तथा लोक मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। आज लाखों लोगों का जीवन मात्स्यिकी के ऊपर निर्भर है। अगर भविष्य में आने वाली पीढ़ीयों के लिए पर्याप्त मात्रा में मछली उपलब्ध कराना हो तो मात्स्यिकी से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को विश्व मात्स्यिकी के संरक्षण एवं प्रबंधन में अपना सहयोग देना होगा।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सन् १९९५ में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के १७० सदस्यों ने उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता बनाई। यह संहिता अनिवार्य न होकर स्वेच्छापूर्ण है जिसके उद्देश्य हेतु प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तथा समुद्री एवं अंतरस्थलीय क्षेत्र में स्थित मात्स्यिकी एवं जलीय संवर्धन के पालन में लगे लोग इससे जुड़े हैं। क्योंकि यह संहिता स्वेच्छापूर्ण है इसलिए यह अनिवार्य है कि मात्स्यिकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग तथा जलीय संवर्धन से जुड़े लोग आपस में प्रतिज्ञा लें कि वे इसके व्यवहारिक पहलू एवं प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस संहिता को कार्यान्वित करेंगे।

यह आचार संहिता जिसमें सिद्धांतों का एक संग्रह, उद्देश्यों तथा कार्रवाई के लिए नुस्खें हैं, को विस्तार करने में दो वर्ष की अवधि लगी। खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि, अंतर शासकीय संगठन, मात्स्यिकी उद्योग तथा अशासकीय संगठन आदि सभी ने इस संहिता के समझौते तक पहुंचने हेतु दीर्घ एवं कड़े परिश्रम किए हैं जिसके फलस्वरूप यह देखा गया है कि कई विविध इकाई मात्स्यिकी तथा जलकृषि में अपना सकारात्मक योगदान कर रही हैं। इस संबंध में यह आचार संहिता मात्स्यिकी एवं जलकृषि मुद्दों के समझौतों पर वृहद रूप से भूमंडलीय जागरूकता की ओर संकेत करती है।

इस संहिता के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी शासन, उनके उद्योगों तथा मछुआरा समुदायों के सहयोग से की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन की भूमिका उनके क्रियाकलापों में तकनीकी सहयोग देना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसके कार्यान्वयन

की सीधी जिम्मेदारी खाद्य एवं कृषि संगठन की है। क्योंकि राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति के कार्यान्वयन तथा विकास की जिम्मेदारी एफ.ए.ओ. की न होकर सरकार की होती है।

इस आचार संहिता का कार्यान्वयन तभी अधिक प्रभावकारी हो सकता है जब सरकार इसके सिद्धांतों एवं उद्देशों को राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति एवं कानूनी पद्धति में शामिल करे। यह सुनिश्चित हो जाए कि इन नीतियों एवं विधायी परिवर्तनों के लिए सहयोग का आधार है तो सरकार को उद्योग एवं अन्य समूहों के साथ सम्पर्क बढ़ाना चाहिए तथा इसे स्वेच्छापूर्ण लागू करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को मछुआरे समुदाय एवं उद्योगों से संबंधित इस संहिता के अच्छे विकास हेतु सहायता एवं प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे इस आचार संहिता के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस संहिता के कार्यान्वयन के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इस संहिता के अच्छे प्रयास के पालन से हो सकता है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य आचार संहिता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के गैर तकनीकी वर्णन से है। यह आशा की जाती है कि इसमें दी गई सूचना मात्स्यिकी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोगों में जागरुकता लाएगी तथा मात्स्यिकी क्षेत्र में इसे कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन देगी। चाहे वह लघु, वृहद अथवा जलकृषि उद्योग हो। यह पुस्तिका आचार संहिता में परिवर्तन तो नहीं कर सकती लेकिन साधारणतः इसमें उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

इस संहिता का एफ.ए.ओ. द्वारा क्रमशः पांच राजभाषाओं में अनुवाद कराया जा चुका है - अरबी, चाइनिज, अंग्रेजी, फ्रेंच एवं स्पेनिश। इसके अलावा शासन, उद्योग, अन्य गैर सरकारी संगठनों ने भी इसके अनुवाद विभिन्न भाषाओं जैसे अलबेनीयन, क्रोयेटीयन, इस्टोमीयन, फारसी, जर्मन, आईसलैन्डीक, इन्डोनेशियन, इटालियन, जैपनीज, पॉलीश, रसियन, सीनहालीज, स्लोवहेनीयन, तमिल, थाई एवं टिग्रीना भाषाओं में की है। इनमें से कुछ भाषाओं में कुछ पाठ एफ.ए.ओ. के मात्स्यिकी विभाग बेवसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो आचार संहिता के संबंध में अधिक जानकारी लेना चाहते हों अथवा इसके पाठ की प्रतिलिपि उपलब्ध करना चाहते हों वे एफ.ए.ओ. के मात्स्यिकी विभाग बेवसाइट से ले सकते हैं जिसका पता इस प्रकार है -

http://www.fao.org/fi/agreem/codecond/codecon.asp.

अगर आप इंटरनेट की सहायता नहीं ले सकते हों तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। द चीफ़ ऑफ सर्विस, एफआईपीएल/फिशरीज़ डिपार्टमेंट, फूड एंड एग्रिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वियाले डेल टर्मी डी काराकल्ला, ००१०० रोम, इटली. प्रतिलिपि हेतु लिफाफे पर कृपया स्पष्ट लिखें कि आप कोड अरेबिक, चायनीज़, इंगलिश, फ्रेंच या स्पॅनिश किस भाषा में लेना चाहते हैं।

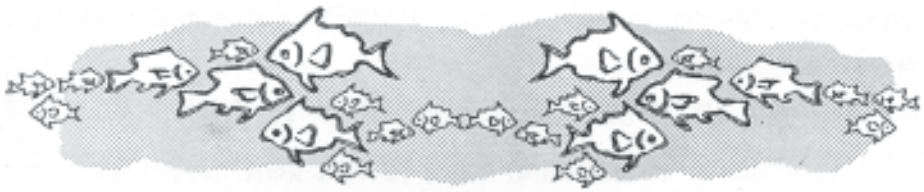

पृष्ठभूमि

भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त मात्रा में मछलियां उपलब्ध कराने के लिए तभी ठोस आश्वासन दिया जा सकता है जबकि मात्स्यिकी एवं जलकृषि से जुड़े देशों के लोग इसके संरक्षण एवं प्रबंध संसाधन को ध्यान में रखते हुए इस आचार संहिता का पालन करें।

मात्स्यिकी से जुड़े सभी लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि मात्स्यिकी भंडारण के स्तर तथा मत्स्य पकड़ दोनों का संतुलन बना रहे। अधिकाधिक निरंतर उत्पाद शब्द हमेशा मछली पकड़ने के स्तर को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी देश की मात्स्यिकी प्रचालन एवं नीति मात्स्यिकी निर्धारण तथा मछुआरा समुदायों में गरीबी रेखा को कम करने के लिए संसाधन संरक्षण, निरंतर खाद्य आपूर्ति का आश्वासन हो।

इसलिए इस आचार संहिता का वास्तविक उद्देश्य उन देशों या देशों के समूह को सहायता करना है जो मात्स्यिकी एवं जलकृषि का विकास एवं उन्नति कर इसके उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं।

यह सर्वविदित है कि आदर्श मात्स्यिकी नीति के विकास के लिए धन, नीति, कुशलता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है, जो हमेशा विकासशील देशों में तथा

खासकर कम विकसित देशों एवं छोटे द्वीप राष्ट्रों में नहीं होती है। यह संहिता एफ.ए.ओ. जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन को प्रोत्साहन देती है कि वे ऐसे देशों के राष्ट्रीय धारिता के विकास में मदद करें जो मात्स्यिकी एवं जलकृषि के प्रबंधन एवं विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं।

इस संहिता में यह वर्णित किया गया है कि किस प्रकार मात्स्यिकी का उचित प्रबंधन करना चाहिए तथा किस प्रकार उनके मत्स्य प्रचालन को संचालित करना चाहिए। इसमें जलकृषि विकास, अन्य समुद्री क्षेत्र क्रियाकलापों के साथ, इसके पकड़ का विक्रय एवं परिसंस्करण के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मात्स्यिकी के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण देशों के साथ सहकारिता पर प्रकाश डाला गया है।

इस संहिता में यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार मत्स्य पालक, उद्योग एवं सरकार को इस संहिता के कार्यान्वयन के लिए कौन से आवश्यक एवं व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। इसी कारणवश कृषि एवं खाद्य संगठन इस सुविधा को लागू करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन हेतु प्रयास कर रहा है। इस मार्गदर्शन का उद्देश्य मत्स्य पालक, उद्योग एवं मत्स्य प्रबंधकों को व्यवहारिक एवं तकनीकी सलाह देना होगा। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह नीति जिस हेतु बनायी गयी थी, उसी दिशा में कार्य कर रही है या नहीं।

मात्स्यिकी प्रबंध

मात्स्यिकी प्रबंधन के क्रम में यह संहिता इस बात की वकालात करती है कि देशों के पास स्पष्ट एवं सुसंगठित मात्स्यिकी नीति होनी चाहिए। इन नीतियों का विकास उन सभी समूहों के आपसी सहयोग से किया जा सकता है जिनकी रुचि मात्स्यिकी, मात्स्यिकी से जुड़े उद्योग, मत्स्य पालकों, पर्यावरण समूहों एवं अन्य रुचिकर संगठनों से हो।

इन देशों के बीच मत्स्य संरक्षण एवं प्रबंध में आपसी सहयोग का होना आवश्यक है क्योंकि इन देशों के बीच मात्स्यिकी संसाधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस संहिता के अनुसार नवीन क्षेत्रीय मत्स्य संगठन की स्थापना की जाए अथवा वर्तमान संगठनों को और अधिक मजबूत किया जाए। आपसी सहयोग का अर्थ तथ्यपरक एवं सकारात्मक होना चाहिए जिससे दूरगामी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस पुस्तिका के कार्यवाही खंड में इस बात पर विचार विमर्श किया गया है। क्षेत्रीय मत्स्य संगठन की भूमिका को क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता से संबंधित अनुच्छेद में स्वीकार किया गया है।

इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि सभी स्तर के मत्स्य उद्योग, मात्स्यिकी प्रबंध एवं कानूनी रुपरेखा जिसमें भी मत्स्य व्यवसाय के लोग जुड़े हुए हैं वे स्पष्ट रुप से यह समझ लें कि उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए।

मात्स्यिकी को सुसंगठित करने हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि मत्स्य एवं परिसंस्करण की प्रक्रिया का पर्यावरण पर कम से कम असर हो तथा उसमें कम से कम अपव्यय हो और पकड़ी गई मछलियों का संरक्षण हो सके। मछुआरों को उनके द्वारा मत्स्य प्रचालन का रिकार्ड रखना चाहिए। सरकार को इस नियम के पालन हेतु चाहिए कि कड़े आदेश लागू करें तथा उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे। इस दंड प्रक्रिया में आर्थिक दंड अथवा मत्स्य लाइसेन्स को निरस्त करने जैसा प्रावधान हो।

विकसित हो रही मात्स्यिकी नीतियों में महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाए जिसमें मूल्य निर्धारण एवं लाभ तथा पर्यावरण और सामाजिक मात्स्यिकी का प्रभाव शामिल हो। इन नियमों को तैयार करने में संबंधित देशों को चाहिए कि उपलब्ध अति आधुनिकतम वैज्ञानिक सूचनाओं का उपयोग करें। जिसमें पारंपरिक रुप से चली आ रही मत्स्य प्रग्रहण का ज्ञान भी समुचित रुप से हो सके। वैज्ञानिक सूचना के अभाव में उन देशों को मत्स्य प्रग्रहण में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

सभी लोग एवं संगठन जो मात्स्यिकी से संबंध रखते हैं उन्हें यह चाहिए कि मात्स्यिकी मुद्दे पर अपने मत एवं विचारों का आपस में आदान-प्रदान करें। खासकर स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो इस उद्योग पर निर्भर है। उन देशों को चाहिए कि मत्स्य पालक एवं मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करें ताकि वे इस नीति के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्रयास कर

सकें तथा यह भी सुनिश्चित कर सकें कि वर्तमान एवं भविष्य में मात्स्यिकी की निरंतरता बनी रहे। मत्स्य संसाधन के बचाव हेतु सभी देशों को यह चाहिए कि विस्फोटक जहरीले वस्तुओं का उपयोग एवं अन्य मत्स्य नाशक चीजों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाएं।

देशों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समुद्री पानी में केवल इजाजत दिये जहाज ही मछली पकड़े। उत्तरदायित्व मात्स्यिकी के लिए यह जहाज उन देशों द्वारा बनाए गए नियम, अधिनियम एवं कानून को सही ढंग से लागू करें।

अत्यधिक मत्स्य आखेट न करें क्योंकि अत्यधिक मछली पकड़ने से भविष्य के लिए मत्स्य भंडारण क्षीण होती जाएगी। मछली के नैसर्गिक पूर्ति के लिए जहाज का आकार अधिक बड़ा ना हो इसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही नया मत्स्य जाल का उपयोग करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर ना हो (उदाहरण के तौर पर जाल में छोटे कोरल जीव भी आ जाते हैं जिनका जीवन निरर्थक ही नष्ट हो जाता है।

मछली पकड़ने की विधि एवं जाल दोनों का ही चुनाव अच्छा होना चाहिए तथा इसका डिजाइन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समुद्री जीवों का अपव्यय कम से कम हो। जाल की बनावट भी ऐसी होनी चाहिए कि अनावश्यक जीव एवं मछलियां जो प्राकृतिक रुप से कम रह गई हैं, फंसकर जाल में न आ सके। अगर मत्स्य जाल एवं मछली मारने का तरीका उचित न हो तो उसके परिणामस्वरुप जीवों का अत्यधिक अपव्यय होता है।

जलयान से संबंधित उपकरण ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें कम से कम अपव्यय हो। नौका मालिक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जहाज से होने वाले अपव्यय के कारण अधिक प्रदूषण न फैले।

प्रदूषित हवा से बचाव के लिए देशों को यह चाहिए कि जहरीले गैस की निकासी एवं मत्स्य जलयान के रिफरिजरेशन से निकलनेवाले ओजोन पदार्थ के लिए बने मार्गदर्शन का पालन करें तथा पदार्थों को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करें।

मछलियों के रहने के महत्वपूर्ण स्थल जैसे आर्द्रभूमि, कच्छ वनस्पति, समुद्री चट्टान एवं समुद्र तल जैसी जगहों को प्रदूषण एवं नष्ट होने से बचाना चाहिए। जहां प्राकृतिक आपदाएं, मात्स्यिकी संसाधन की क्षति होती हो वहां देशों को आपतकालीन संरक्षण एवं प्रबंध के लिए अनिवार्य रुप से तैयार रहना चाहिए।

फ्लैग देश

ऐसे देश जिनके पास मात्स्यिकी हेतु मत्स्य जलयान हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जलयान जब अपनी जल सीमा से बाहर जाकर मछली पकड़ते हैं तो ऐसे मामलों में उन्हें जलसीमा पार करने का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। देशों को ऐसे जलयानों का विस्तृत अभिलेख रखना चाहिए जो अपनी देश की जल सीमा से बाहर जाकर मछली पकड़ते हैं।

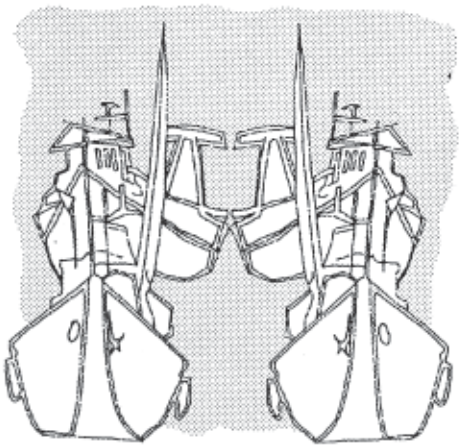

वे देश जो मत्स्य जलयान को झंडा जारी करता है को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके जहाज सुरक्षित तथा बीमित है। कुल मिलाकर जहाज एवं जाल दोनों पर उस राष्ट्र का या अंतरराष्ट्रीय विधान के अनुसार क्रमशः प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी विदेशी राष्ट्र या संबंधित विदेशी सरकार को दी जानी चाहिए।

बंदरगाह देश

इस प्रावधान के अंतर्गत देशों को यह चाहिए कि जब कोई विदेशी जहाज उसके अंदर घुस आए तो उनका निरीक्षण किया जाए। सिर्फ ऐसे मामलों में नहीं जब कोई जहाज आपातकालीन स्थित में आ गया हो। यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि इनके द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण मछली पकड़ी गई है। बंदरगाह देशों को ऐसे मामलों में उन देशों का सहयोग करना चाहिए जिनमें कोई ऐसा जहाज फ्लैग कंट्री

द्वारा पंजीकृत हो तथा फ्लैग कंट्री के अनुरोध पर ऐसे जहाजों द्वारा किए गए संभाव्य उल्लंघन की जांच पड़ताल में सहायता करनी चाहिए।

मत्स्य जहाज को बंदरगाह पर उतरने के लिए जगह सुरक्षित होनी चाहिए। इन जहाजों की मरम्मत हेतु मछली बेचने वाले तथा खरीदने वालों के लिए उचित जगह का प्रबंध होना चाहिए। इसी के साथ मीठे पानी की पूर्ति, स्वच्छता प्रबंध तथा कचरा फेंकने हेतु उचित व्यवस्था का होना आवश्यक है।

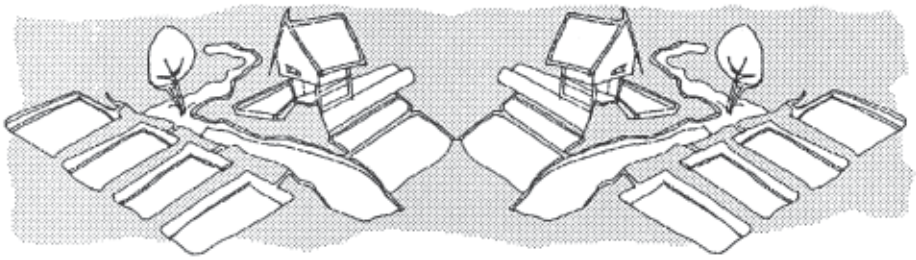

जलकृषि विकास

मानव खपत के लिए मछली की अत्याधिक पूर्ति के साथ जलकृषि विकास का प्राथमिक उद्देश विविध अनुवंशिक संरक्षण एवं समुद्री मछलियों पर प्राकृतिक रूप से पाली गई मछलियों का बुरा असर ना होना है।

इस संसाधन की संभाव्यता जैसे पानी, खाड़ी अथवा किनारे की जगह जिसका हमेशा एक या एक से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं, में होती है। इस संसाधन को इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद या मतभेद की स्थिति हो तो ऐसे में उस देश को इस संसाधन का सही इस्तेमाल करने के लिए स्पष्ट नीति एवं योजना बनानी चाहिए।

जलकृषि विकास करते हुए उन देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका परिणात्मक प्रभाव वहां के रहने वाले स्थानीय समुदाय, उत्पादकता, मछली पाने वाले स्थल पर न हो। जलकृषि पर पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण एवं देखरेख हेतु प्रावधान बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ, प्राकृतिक रुप से पायी जाने वाली मछलियों के आहार एवं खाद के प्रकार की भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। रोग नियंत्रण हेतु दवाईयों एवं रासायनिकों का उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण

पर इसका विपरीत प्रभाव पड सकता है। जलकृषि उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

मत्स्य पालन के लिए नई प्रजाति को पानी में डालने से पहले और जलसीमा के बाहर इसका विस्तार करने से पहले, उन देशों को पड़ोसी देशों से सलाह लेनी चाहिए। नई प्रजातियों द्वारा आए रोगों को कम करने के लिए उन देशों को इस संहिता को लागू करने हेतु सहमति बनानी चाहिए तथा आपस में जलीय वनस्पति एवं प्राणियों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण एवं प्रवेश कराने पर इस संहिता को आपस में पालन करना चाहिए। जलकृषि प्रयोजन के निर्माण में उन देशों द्वारा तकनीक का विकास करना चाहिए तथा पुर्नभंडारण हेतु उद्योग स्थापित करना चाहिए एवं जो प्रजाति खतरे में है उसकी पूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए।

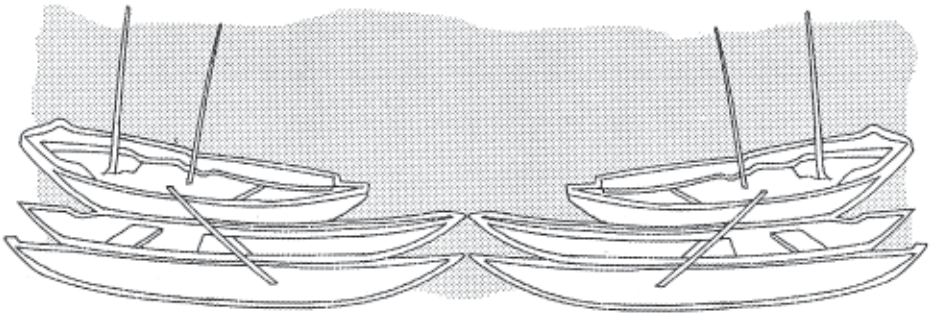

समुद्री तटीय क्षेत्र प्रबंध में समन्वित मात्स्यिकी

जब इस बात का निर्णय लिया जा रहा हो कि किस प्रकार तटीय संसाधन का इस्तेमाल अथवा मूल्यांकन किया जाए तब वहां के रहने वाले मछुआरा समुदायों के जीवन को भी ध्यान में रखा जाए तथा इस योजना को बनाने में उनके भी विचार लिए जाएं।

जहां समुद्र तटीय क्षेत्र का बहुमुखी उपयोग हो रहा हो, मात्स्यिकी का इस्तेमाल करके मछुआरों के बीच उत्पन्न हुए मतभेदों को उचित प्रावधान के अनुसार ही दूर करने का प्रयास किया जाए। इसी के साथ, उन देशों को पड़ोसी तटीय देशों के साथ सहयोग कर समुद्र तटीय संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंध सही दिशा में करने का निश्चय करना चाहिए।

फसलोत्तर कार्य एवं व्यापार उत्तरदायित्व

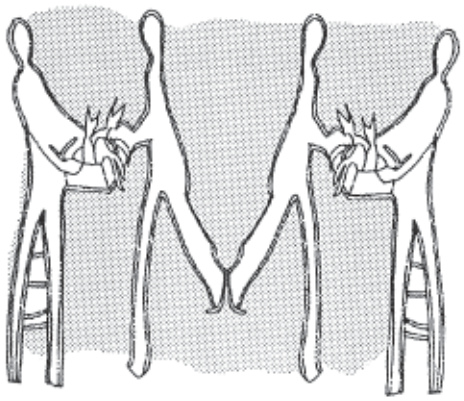

संबंधित देशों को लोगों में मछली खाने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए एवं साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद स्वस्थ एवं स्वास्थ्यवर्धक हो। मत्स्य गुणवत्ता के लिए मानक निश्चित कर उसका पुनरीक्षण करना चाहिए। साथ ही सरकार को ग्राहक के स्वास्थ्य की रक्षा एवं व्यवसायिक धोखेबाजी (उदाहरणस्वरुप ग्राहकों में मछली के बारे में गलत सूचना देकर अपनी बिक्री को बढ़ाना) से बचाने का इंतजाम करना चाहिए। इसी क्रम में उन देशों को समान स्वच्छता एवं प्रजनन कार्यक्रम की स्थापना में सहयोग देना चाहिए।

परिसंस्करण की विधि, यातायात व्यवस्था एवं मत्स्य भंडारण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उत्तम होना चाहिए (इन विधियों से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए) मछली प्रग्रहण के बाद पुनरुत्पादन क्षति एवं अपव्यय कम होना चाहिए, प्रग्रहण (ऐसी मछलियों का जिनकी वास्तव में आवश्यकता न हो) का जहां तक संभव हो उपयोग करना चाहिए एवं पानी, ऊर्जा, लकड़ी इन चीजों का उपयोग जो मत्स्य परिसंस्करण में की जाती है उसका सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए। जहां संभव हो उच्च मूल्य की उत्पादकता एवं परिसंस्कृत उत्पाद को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि ऐसे उत्पाद से कभी-कभी मत्स्य किसानों को अधिक मूल्य की प्राप्ति होती है।

मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद से संबंधित व्यापार विधि सरल, स्पष्ट एवं अन्तरराष्ट्रीय नियमों के अनुकूल होनी चाहिए। मछुआरों, पर्यावरण संगठन तथा ग्राहक वर्गों को चाहिए कि उन देशों द्वारा समय-समय पर व्यापार नियमों एवं अधिनियमों की समीक्षा करते रहें। अगर किसी देश के विधि एवं नियमों में विकास अथवा परिवर्तन होता है तो अन्य देशों को भी इसकी सूचना देनी चाहिए तथा उनके आयात निर्यात प्रावधान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर एवं उसे लागू किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार लुप्तप्राय मछलियों के व्यापार में शामिल नहीं है, लेकिन ऐसे देशों को जो लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार नियमों एवं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानों की देखरेख कर रहा है, उनकी सहायता करता है। निष्कर्षतः जिससे मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद से संबंधित व्यापार के संरक्षण एवं निरंतरता बनाए रखने में मदद होती है।

मात्स्यिकी अनुसंधान

देशों को यह स्वीकार करना चाहिए कि उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी नीति पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर हो। इसलिए उन देशों को अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए तथा युवा तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीक एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों को ऐसे देशों को अनुसंधान कार्य में सहायता करनी चाहिए। खासकर ऐसे देशों को जो कम विकसित हैं तथा छोटे विकासशील द्वीप देश जिन्हें इनकी आवश्यकता है।

अनुसंधान के संदर्भ में, उन देशों को मछली एवं उनके पाए जाने पाले स्थल तथा उनकी दिशा में हो रहे परिवर्तन की देखरेख करनी चाहिए। सामान्य वातावरण पर तथा केन्द्रित मत्स्य समूहों हेतु जालों के विभिन्न प्रकारों पर होने वाले प्रभाव का आंकड़ा भी इकट्ठा करना चाहिए। यह अनुसंधान खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब कोई देश मत्स्य तकनीक एवं नए जाल को व्यवसायिक रुप से सामाजिक एवं विपणन उपयोग में लाने हेतु योजना बनाता है।

उन देशों को अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के लिए आपस में मिलकर योगदान करना चाहिए, जहां कहीं भी अन्य देशों की जलसीमा में अनुसंधान कार्य चल रहा है। वहां यह महत्वपूर्ण है कि अनुसंधानकर्ता उन देशों द्वारा मत्स्य नियमों को स्थानानुसार लागू करें। मत्स्य एवं वैज्ञानिक आधारित सूचना क्षेत्रीय मत्स्य संगठन एवं इससे संबंधित रुचि रखने वाले सभी देशों में यथासंभव वितरित की जानी चाहिए।

क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

स्पष्टतः देशों एवं क्षेत्रीय मत्स्य संगठन को मात्स्यिकी से संबंधित अनेकों मामलों में आपस में सहयोग करना चाहिए। एक देश द्वारा लिए गए प्रबंध मापदण्डों को उसी के अनुरुप समान मापदण्ड दूसरे देशों द्वारा भी अपनाने चाहिए। खासकर जब वे

समान मत्स्य भंडार से मत्स्य पकड़ते हों। निष्कर्षतः मात्स्यिकी विवादों में शामिल संभावित देशों को क्षेत्रीय संस्थानों की सहायता से इसे दूर करने का प्रयास करन्न चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रकार का विवाद पुनः उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन शांति के साथ यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय मत्स्य संगठन को उनके सदस्यों से संरक्षण, प्रबंध एवं अनुसंधान क्रिया पर होनेवाली लागत को वसूल करने का लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ स्थानीय मत्स्य संगठनों के प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय मत्स्य संगठनों के कार्य में भाग लेने हेतु अनुमति देनी चाहिए।

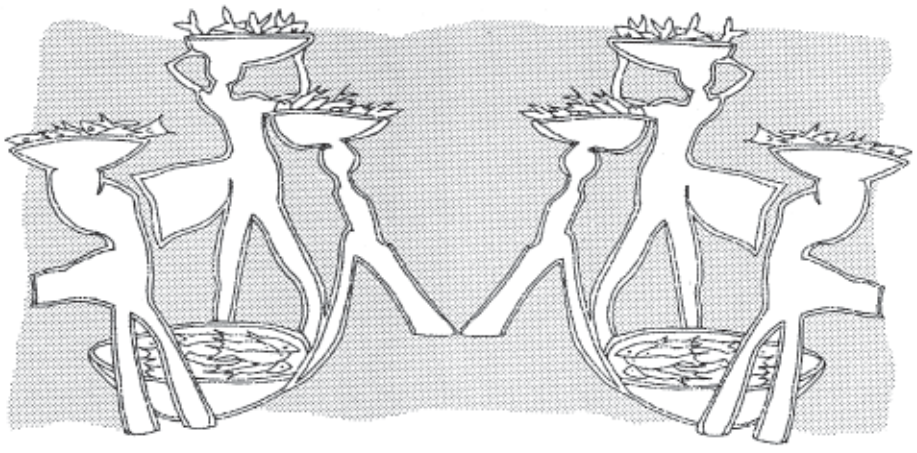

इन सबका अर्थ क्या है ?

अगर देश की उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी तथा उपयोग हेतु उपयुक्त नीति हो तो तकनीकीकृत प्राकृतिक संसाधन से वर्ष दर वर्ष मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसी के समान जलकृषि के साथ मत्स्य पालन जो पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है को उन्नत किया जाए क्योंकि इस प्रकार के पालन से उस देश की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति व इससे संबंधित समुदायों की स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है।

अगर उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता को सफलतापूर्वक लागू किया जाए जिनमें मात्स्यिकी एवं जलकृषि में शामिल सभी लोग हैं तो यह आशा की जा सकती है कि वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद की खपत हेतु भंडारन उपलब्ध रहेगा। इसके लिए वर्तमान पीढ़ी का यह नैतिक दायित्व है कि उनकी लापरवाही से अत्याधिक मत्स्य दोहन नहीं किया जाए ताकि भविष्य हेतु मत्स्य आपूर्ति में कमी आ जाए।

यह आचार संहिता उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी हेतु देशों तथा वहां के नागरिकों से यह अपेक्षा करती है कि वे व्यापक एवं समन्वित नीतियों को लागू कर मात्स्यिकी सेक्टर को और अधिक स्वास्थ्यकर एवं संपुष्ट बनाएं। ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण क्रिया से दूरगामी काल में मत्स्य भंडारण को बढ़ाने में अच्छा परिणाम मिलेगा। खाद्य सुरक्षा में उचित योगदान से निरन्तर आय की संभावना बनी रहेगी।

अगर विश्व के सभी देश आपस में एकजुट होकर उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी संबंधी कार्य करें तो आने वाले कई पीढ़ियों के लिए प्रचुर मात्रा में मत्स्य आपूर्ति हो सकती है। कृषि एवं खाद्य संगठन (एफ.ए.ओ.) का मात्स्यिकी विभाग आपसे यह आशा करता है कि आप इस पुस्तिका को सूचनात्मक एवं विश्व मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास एवं प्रबंधन में जिम्मेदारीपूर्वक अपनी भूमिका निभाएं।

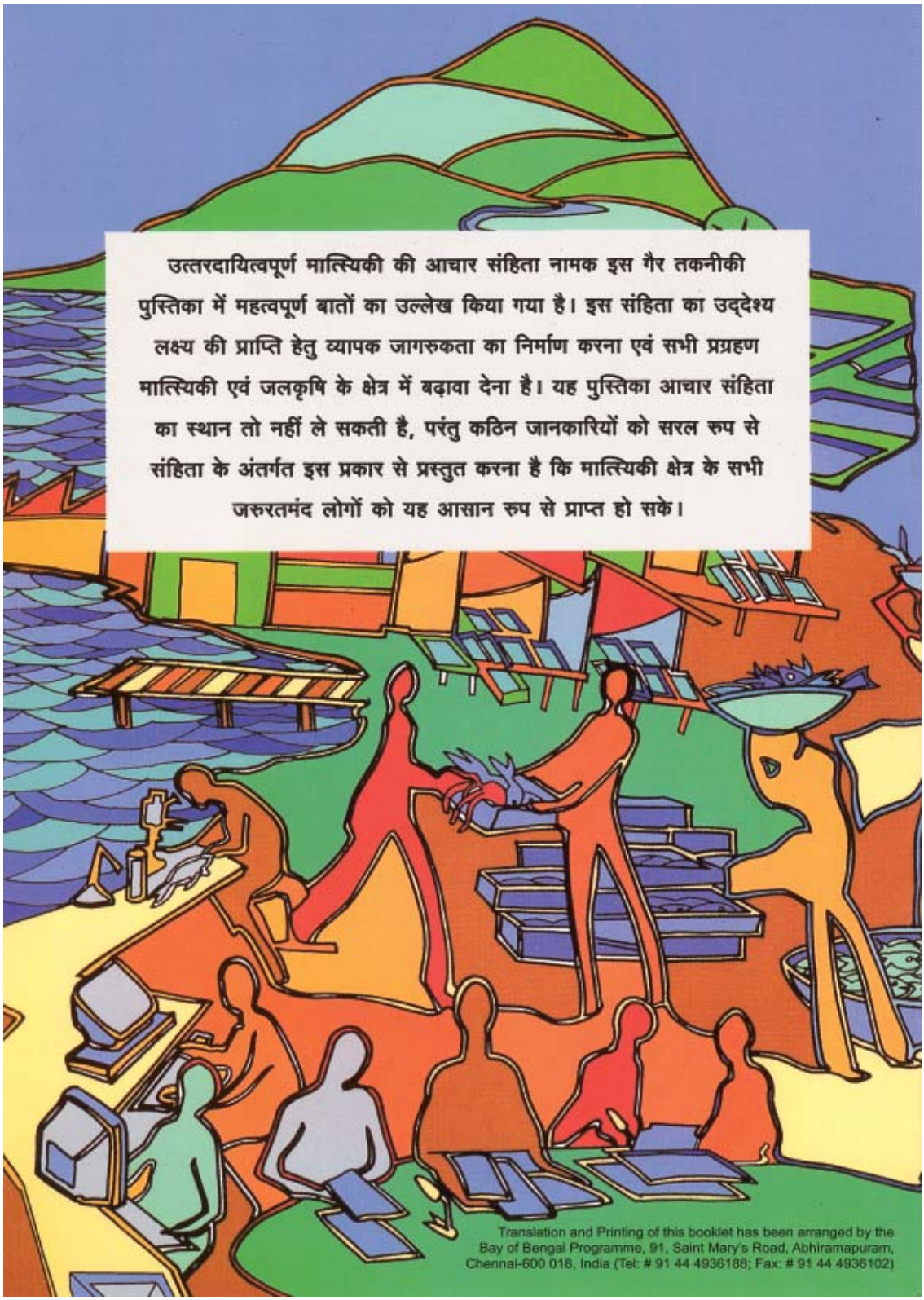

Translation and Printing of this booklet has been arranged by the Bay of Bengal Programme, 91, Saint Mary's Road, Abhiramapuram, Chennai-600 018, India (Tel: # 91 44 4936188; Fax: # 91 44 4936102)